न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 87 / 2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 दुर्गाराम पुत्र नत्थाराम, जाति देवासी, निवासी थरासनी, तहसील सोजत, जिला पाली (राज0)।	1	कोजाराम पुत्र गोकलराम
	2	चैनाराम पुत्र शिवजी जातियान देवासी निवासीगण थरासनी तहसील सोजत, जिला पाली।
	3	तहसीलदार (लैण्ड होल्डर), सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थिति:–

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव, कल्याणनाथ अधिवक्तागण वादी उपस्थित।
2. रमेशचंद पंवार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक –28.10.2021

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा थरासनी भू अभिलेख निरीक्षक खारिया नींव तहसील सोजत में खाता संख्या 248 पुराना खाता संख्या 254 के खसरा नंबर 1399 साबिका खसरा नंबर 578 मि0 रकबा 7.1100 हैक्टर बारानी अव्वल की भूमि स्थित है। उक्त वादस्थ कृषि भूमि में वादी का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/3–1/3 हक हिस्सा आता है। उक्त वादस्थ भूमि का बंटवाड़ा किया हुआ नहीं होने से दिनांक 07.06.2020 को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण इंकार हुए, तब वाद पेश किया। वादी एवं प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि आंवटित हुई थी, वादी के नाम जरिये नामा0 संख्या 189 एवं प्रतिवादी संख्या 01 कोजाराम पुत्र गोकलराम के नाम जरिये नामा0 संख्या 187 तथा प्रतिवादी संख्या 02 चैनाराम पुत्र शिवजी के नाम जरिये नामा0 संख्या 188 द्वारा गैर खातेदारी साबिका ख0 न0 578 मि0 संवत् 2026–29 की जमाबंदी में दर्ज हुई थी। उक्त जमाबंदी में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते समय वादी दुर्गाराम की वल्दियत के स्थान पर सहवन से राजकीय कर्मचारियों की त्रुटिवश घेवरराम दर्ज कर दी गई। जबकि वादी की वल्दियत समस्त सरकारी/अर्द्ध सरकारी दस्तावेजात में दुर्गाराम वल्द नत्थाराम ही है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी की गलत दर्ज वल्दियत दुर्गाराम पुत्र घेवरराम के स्थान पर सही एवं दुरस्त वल्दियत दुर्गाराम पुत्र नत्थाराम की प्रविष्टि दर्ज किए जाने एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किए जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मनस वास्ते ज.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

दा. तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री रमेशचन्द्र पंवार अधिवक्ता ने दिनांक 24.02.2021 को वकालतनामा तथा दिनांक 01.04.2021 को जवाब दावा पेश किया, कि प्रति अधिवक्ता वादी को दिलाई गई, सा. मि. है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा पेश कर उक्त वादग्रस्त भूमि मौजा थरासनी के खसरा नंबर 1399 रकबा 7.1100 हैक्टर में वादी तथा प्रति संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 - 1/3 - 1/3 हक हिस्सा तथा वक्त आवंटन से आज तक संयुक्त कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। जिसका विभाजन/बंटवाडा पर प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं होना अंकित किया है। वाद पत्र के इन तथ्यों को भी स्वीकार किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आवंटित हुई थी। उक्त भूमि का जमाबंदी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते समय वादी दुर्गाराम की वल्दियत नत्थाराम के स्थान पर राजकीय कर्मचारियों से हुई सद्भाविक त्रुटि सहवन से घेवरराम दर्ज कर दी गई। जबकि वादी की वल्दियत समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी दस्तावेजात में दुर्गाराम पुत्र नत्थाराम ही है। उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने पर प्रतिवादी को कोई आपति नहीं होना अंकित किया है। पद संख्या 5 से 8 कानूनी होना अंकित कर ज.दा. पेश कर वादी का वाद स्वीकार किये जाने तथा माफिक ईश्तदुआ स्वीकार कर वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी संख्या 2 चैनाराम को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन्स तलब किया, मूल लिफाफा पुनः लौटा है, सा.मि. है।

पत्रावली आज पेश हुई। वादी स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित आए, की पहचानकर्ता हस्ताक्षर सरपंच ग्राम पंचायत मेव ने अंकित किये, आदेशिका पर है। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23(1) सीपीसी पर वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट 1955 की सीमा तक विड्रोवल किये जाने का पेश किया, कि न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट तथा 136 एलआरएक्ट 1956 का पेश वाद जैरब्यार है। धारा 53 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत चाहा गया है, जो बंटवाडा का वाद नये सिरे से पेश करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए वाद बंटवाडा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट की हद तक वादी वाद विड्रोवल करता है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पृथक से धारा 151 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश किया है, को स्वीकार कर धारा 53 की ईश्तदुआ जरिये विड्रोवल खारिज किये जाने तथा घोषणा की ईश्तदुआ जोडे जाने की ईश्तदुआ की है। अतः हस्व प्रार्थना पत्र ईश्तदुआ अधिवक्ता वादी धारा 53 आर.टी. एक्ट 1955 बाबत बंटवाडा की सीमा तक वादी का वाद नये सिरे से पृथक वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद में से धारा 53 आर.टी.एक्ट का वाद जरिये विड्रोवल खारिज की जाती है अर्थात उक्त ईश्तदुआ वाद पत्र से खारिज की (हटाई) जाती है।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. का पृथक से पेश कर निवेदन किया कि पूर्व में पेश धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956 का उक्त वाद वादी दुर्गाराम की वल्दियत दुर्गाराम पुत्र घेवरराम के स्थान पर दुर्गाराम पुत्र नत्थाराम दुरूस्त इन्द्राज का अनुतोष चाहते हुए पेश किया है। उक्त प्रकरण में धारा 88 आर. टी.एक्ट 1955 को संलग्न जोडा जाना न्यायसंगत होने से कोर्ट फीस संलग्न कर वादी का वाद डिक्री करते हुए वादी दुर्गाराम की वल्दियत दुर्गाराम पुत्र घेवरराम के स्थान पर दुर्गाराम पुत्र नत्थाराम दुरूस्त करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी दुर्गाराम पुत्र नत्थाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु धारा 88 जोडे जाने की ईश्तदुआ की है। प्रार्थना पत्र धारा 151 पर अधिवक्तागण उभयपक्षो को सुना गया। वस्तुतः धारा 136 एल.आर.एक्ट की ईश्तदुआ के साथ धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 को जोडा जाता है। अधिवक्ता वादी ने संशोधित टाईटल पेश किया, सा.मि. किया, तदानुसार मूल वाद पर लाल स्याही से धारा 53 के स्थान पर धारा 88 का अंकन किया जावे। वाद-पत्र से धारा 53 की ईश्तदुआ को हटाया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

प्रतिवादी संख्या 2 को बावजूद तामिली सूचना दिनांक 11.08.2021 को उपस्थिति के पश्चात आज तक अनुपस्थित रहने से दिनां 28.10.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वाद –पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल. आर. एकट 1956 के इस वाद प्रकरण में शहादतवादी पी.डब्ल्यू. 1 दुर्गाराम, स्वतंत्र गवाह, पी. डब्ल्यू. 2 चैनसिंह, घेवरराम, लिखमाराम तथा देवेन्द्रसिंह के तस्दीकसुदा शपथ पत्र पेश किए, सा.मि. है। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से शहादत वादी बंद की गई।

बहस अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत फहरिश्त दस्तावेजात के संलग्न वादी की सरहद मौजा थरासनी प0ह0 मेव तह0 सोजत में अन्य स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 556/1724 रकबा 0.0200 हैक्टर, गै.मु. बाडा तथा खसरा नंबर 1449/1, रकबा 0.1100 हैक्टर, 477 रकबा 0.3800 हैक्टर एवं खसरा नंबर 478 रकबा 0.4700 हैक्टर कुल किता 03 रकबा 0.9600 हैक्टर किस्म बा.अ. भूमि का जमाबंदी, आधार कार्ड, तथा राशन कार्ड, परिचय पत्र प्रस्तुत की है, में वादी बतौर दुर्गाराम पुत्र नत्थाराम 1/2 हिस्सा जाति राईका सा. देह खातेदार दर्ज है। वाद पत्र के संलग्न जमाबंदी में वादस्थ भूमि के दर्ज खातेदार वादी दुर्गाराम की वल्दियत की संपुष्टि में आधार कार्ड में दर्ज सही व वास्तविक दुर्गाराम पुत्र नत्थाराम तथा अन्य जमाबंदी में भी वास्तविक नाम दुर्गाराम पुत्र नत्थाराम सही व दुरूस्त होने अर्थात् वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत पी.डब्ल्यू.–1 वादी, स्वयं के तस्दीक सुदा शपथ पत्र, सरपंच मेव घेवरराम बावरी निवासी बूटेलाव, स्वतंत्र गवाहान पी.डब्ल्यू.–2 घेवरराम , पी.डब्ल्यू.–3 चैनसिंह, पी.डब्ल्यू.–4 लिखमाराम, पी.डब्ल्यू.–5 देवेन्द्रसिंह के तस्दीकसुदा शपथ पत्रों से हो चुकी है। लिहाजा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट 1955 आर.डब्ल्यू. धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 स्वीकार किये जाने तथा घोषणा कर वादी का गलत दर्ज नाम दुर्गाराम पुत्र घेवरराम हिस्सा 1/3 राईका सा. देह खातेदार के स्थान पर वास्तविक व सही नाम दुर्गाराम पुत्र घेवरराम हिस्सा 1/3 राईका सा. देह दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर अधिवक्ता मय प्रति. संख्या 1 ने वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार इ. ज. दा. कर वाद पत्र को संपुष्ट किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात, ई.ज.दा., प्रतिवादी संख्या 1 फहरिश्त संलग्न दस्तावेजात खसरा नंबर 556/1724, 1449/1 तथा 477 व 478 की जमाबंदी संवत 2074–77, आधार कार्ड संख्या 528850671816, निर्वाचन फोटो पहिचान पत्र संख्या आर.जे.21/161/148122 राशन कार्ड शहादत वादी पी.डब्ल्यू. 1 से पी.डब्ल्यू. 5 द्वारा प्रस्तुत तस्दीक सुदा शपथ पत्रों आदि का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभयपक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत ई. ज. दा., दस्तावेजात एव शहादतवादी पी.डब्ल्यू. 1 से पी.डब्ल्यू. 5 के तस्दीक सुदा शपथ पत्रादि से होने से अधिवक्ता वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा मौजा मेव के खसरा नंबर 1399 की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सद्भाविक मानवीय भूलवश सहवन से गलत दर्ज नाम दुर्गाराम पुत्र घेवरराम के स्थान पर सही एवं दुरूस्त दुर्गाराम पुत्र नत्थाराम दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा थरासनी, पटवार हल्का मेव, तहसील सोजत में स्थित वादरथ कृषि भूमि खसरा नंबर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

1399 रकबा 07.1100 हैक्टर बा.अ. के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक मानवीय चूक/भूलवश का गलत रूप से दर्ज नाम दुर्गाराम पुत्र घेवरराम के स्थान पर दुर्गाराम पुत्र नत्थाराम हिस्सा 1/3 देवारी, सा. देह खातेदार सही एवं दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिव किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 दुर्गाराम पुत्र नत्थाराम, जाति देवासी, निवासी थरासनी, तहसील सोजत, जिला पाली (राज0)।	1	कोजाराम पुत्र गोकलराम
	2	चैनाराम पुत्र शिवजी जातियान देवासी निवासीगण थरासनी तहसील सोजत, जिला पाली।
	3	तहसीलदार (लैण्ड होल्डर), सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

राजस्व वाद संख्या :– 87/2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री सुरेन्द्र वैष्णव, कल्याणनाथ अधिवक्तागण वादी एवं श्री रमेशचंद पंवार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा थरासनी, पटवार हल्का मेव, तहसील सोजत में स्थित वादस्थ कृषि भूमि खसरा नंबर 1399 रकबा 07.1100 हैक्टर बा.अ. के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक मानवीय चूँक/भूलवश का गलत रूप से दर्ज नाम दुर्गाराम पुत्र घेवरराम के स्थान पर दुर्गाराम पुत्र नत्थाराम देवासी हिस्सा 1/3, सा. देह खातेदार सही एवं दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। उक्त निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.10.2021 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

ददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			